84333 दिनांक 9-10-13

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–9
संख्या–1684/5–9–2013–9(186)/13
लखनऊ : दिनांक 07 अक्टूबर, 2013

....

कार्यालय ज्ञाप

विषय–प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार गरीब जनता को मूलभूत स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी 1995.81 लाख है, जिसमें 444.70 लाख जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। सूडा द्वारा 2003–04 के सर्वे के अनुसार लगभग 119.98 लाख जनसंख्या मलिन बस्तियों में निवास करती है।

2– प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं एवं सूचकांकों में महत्वपूर्ण सुधार आया है, परन्तु शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य इकाइयों के उपलब्ध न होने तथा मानव संसाधन की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

3– शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुयी जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या को गुणवत्तापरक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2013–14 में प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त शहरों एवं कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया जायेगा तथा 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगीं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 50,000 से अधिक आबादी वाले जिला मुख्यालय/शहर/कस्बे सम्मिलित करते हुये कुल 131 शहरी क्षेत्र है, जिनको राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

4– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी:–

1. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर 01 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (U-PHC) स्थापित किया जाना है, जिसके माध्यम से ओ0पी0डी0, मातृ

एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण, मूलभूत जॉच, संक्रामक रोगों, अन्य बीमारियों के बचाव एवं उपचार हेतु सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

2. शहरी क्षेत्रों में पूर्व से स्थापित सरकारी स्वास्थ्य इकाइयॉ जैसे अरबन हेल्थ पोस्ट, मैटरनिटी होम को सुदृढ़ करते हुये उनको नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (U-PHC) एवं नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (U-CHC) के रूप में विकसित किया जायेगा।

3. आगामी वर्षों में 2,50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 30–50 बेड का 01 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (U-CHC) स्थापित किया जायेगा।

4. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का प्रावधान नहीं किया गया है। शहरी क्षेत्रों में आउटरीच स्वास्थ्य सेवायें ए0एन0एम0 द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी, जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात की जायेंगी। प्रत्येक 10,000 की शहरी जनसंख्या पर 01 ए0एन0एम0 तैनात की जायेंगी, जो कि शहरी आबादी में ग्रामीण क्षेत्रों की तरह समस्त स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायेंगी।

5. शहरी क्षेत्रों में स्थापित समस्त सरकारी स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी आउटरीच स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जायेंगी, जिसमें स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर बीमारियों का चिन्हीकरण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा सन्दर्भन सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी। आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से गैर सरकारी स्कूल भी आच्छादित किये जायेंगे।

6. शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं की जागरूकता हेतु प्रत्येक 200–500 घरों पर 01 अरबन आशा (Urban ASHA) का चयन किया जायेगा, जो कि मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनता, स्वास्थ्य इकाई, सेवा प्रदाता एवं महिला आरोग्य समिति के मध्य लिंक वर्कर का कार्य करेंगी। जिसके लिये सेवाओं के अनुसार आशा को मानदेय दिया जायेगा।

7. शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं की जागरूकता हेतु प्रत्येक 50–100 घरों पर 01 महिला आरोग्य समिति (MAS) का गठन किया जायेगा। महिला आरोग्य समिति मलिन बस्तियों में सामुदायिक समूह के रूप में कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन, मॉनीटरिंग तथा रेफरल का कार्य करेंगी। वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संस्थाओं को इस हेतु कार्य में लिया जायेगा। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत इन समूहों को अन्टाइड ग्रान्ट दिया जायेगा तथा उनके सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

8. शहरी मलिन बस्तियों की जनता, घुमन्तू आबादी जो कि नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आकर स्वास्थ्य सेवायें लेने में असमर्थ हैं, के लिये विशेष आउटरीच हेल्थ कैम्प आयोजित पर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी तथा संचारी, गैर संचारी रोगों जैसे डायबिटीज, हाइपरटेन्शन, व्यवसायिक जोखिम, कैन्सर इत्यादि के बचाव, चिन्हीकरण एवं सन्दर्भन हेतु विशेष हेल्थ कैम्प आयोजित किये जायेंगे।

9. शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट नर्सिंगहोम काफी मात्रा में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं परन्तु गरीब जनता को उनका लाभ नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्राइवेट नर्सिंगहोम को चिन्हित कर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के

अन्तर्गत अनुबन्ध कर गरीब जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की जायेगी।

10. स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य निर्धारकों जैसे आवास, स्वच्छ पेय जल, स्वच्छता एवं पोंषण के कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये कार्ययोजना तैयार की जायेगी, जिसके लिये नगर विकास, महिला एवं बाल विकास, बेसिक शिक्षा, अल्प संख्यक, श्रम विभाग, रेलवे, ई0एस0आई0एस0 तथा कारपोरेट सेक्टर का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

11. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूर्व से स्थापित संस्थागत एवं प्रबन्धन संरचनाओं को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सुदृढ़ किया जायेगा। शहरों एवं कस्बों में मिशन के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्वास्थ्य समितियों की होगी, जिनमें सम्बन्धित शहरी स्वायत्त संस्थाओं (यू0एल0बी0) को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

12. स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों को सुदृढ़ किये जाने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन तैनात किया जायेगा। इस हेतु राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के अन्तर्गत शहरी स्वास्थ्य सेल का गठन किया जायेगा।

13. जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले जिला मुख्यालय/शहरों/कस्बों में आने वाली अधिकृत एवं अनधिकृत मलिन बस्तियों व शहरी स्वास्थ्य इकाईयों की जी0आई0एस0 मैपिंग एवं बेसलाइन सर्वे कराया जायेगा।

14. शहरी स्वास्थ्य मिशन को लागू किये जाने के लिये प्रदेश स्तर पर सहयोगी संस्थायें जैसे–एच0यू0पी0 (Health For Urban Poor) एवं यू0एच0आई0 (Urban Health initiative) का पूर्ण सहयोग लिया जायेगा।

15. जनपदों में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू किये जाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार गतिविधियॉ संचालित कर जन–सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0 शासन।

संख्या–1684 (1)/5–9–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
2. निजी सचिव,मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0(श्री शंखलाल माझी)
3. निजी सचिव,मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0(श्री नितिन अग्रवाल)।

4. निजी सचिव–मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, नगर विकास, शासन।
7. प्रमुख सचिव, वेसिक शिक्षा, शासन।
8. प्रमुख सचिव, अल्प संख्यक कल्याण, शासन।
9. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, शासन।
10. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शासन।
11. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, शासन।
12. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, शासन।
13. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0), उ0प्र0, लखनऊ।
14. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन0यू0एच0एम0),उ0प्र0,लखनऊ।
15. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0),उ0प्र0,लखनऊ।
16. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
17. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
18. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
19. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
20. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
21. समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
22. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
23. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
24. कार्यालय, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन0यू0एच0एम0), उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
25. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सारिका मोहन)
विशेष सचिव।